

Email on 12/12/2023

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल,
तीसरा एमएसओ बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, डीएफ ब्लॉक,
सेक्टर-1, साल्टलेक, कोलकाता - 700064

फोन: (033) 2337-4916; फैक्स: (033) 2334-7854, ई-मेल: agauwestbengal12@cag.gov.in

का. आ. सं. Admn.I/13-27/Vol.II/NPS to OPS/217

दिनांक: 12.12.2023

कार्यालय आदेश

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की गई का. ज्ञा. सं. 57/05/2021-P&PW (B) दिनांक 03.03.2023 के शर्तों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (वर्तमान में 2021) के तहत पेंशन योजना में स्विच ओवर (switch over) करने हेतु एकम वार विकल्प (one time option) के चयन के पश्चात्, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति एक ऐसे पद या रिक्ति पर की गयी जो कि नई पेंशन योजना, यथा 22.12.2003, की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पहले भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, के संबंध में उनके सरकारी सेवाओं में कार्यग्रहण की तिथि के प्रभाव से उन्हें एतद्वारा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 (वर्तमान में 2021) के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

क्रमांक	नाम और पदनाम (श्री/सुश्री)	उस पद की नियुक्ति की तारीख जिसके लिए केंद्र/राज्य सरकार की सेवा में ऐसे विकल्प का चयन किया गया था	उस पद और विभाग का नाम जिसके लिए नियुक्ति की गई थी	उस पद की विज्ञापन /अधिसूचना की तिथि जिसके लिए विकल्प का चयन किया गया था
1	मनीष कुमार सिन्हा, स. लेप. अ.	03.01.2006 (पूर्वाह्न)	गुड्स गार्ड, नांदेड़ मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे	06.09.2003
2	आफ़ताब आलम खान, स. लेप. अ. (तदर्थ)	31.10.2005 (पूर्वाह्न)	ट्रैकमैन, मालदा मंडल, पूर्व रेलवे	13.06.2003

डी.ओ.पी.पी.डब्ल्यू. का. ज्ञा. सं. 57/05/2021-P &PW (B) दिनांक 03.03.2023 के शर्तों के अनुसार उपरवर्णित अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लिया जाना आवश्यक है।

OFFICE ORDER

Subsequent to exercising **one-time option** for switching over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) in terms of Office Memorandum No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 issued by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW), the following officers of this office appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003, are hereby covered under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) from their date of joining in government service :

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri)	Date of appointment of the post for which such option was exercised in Central/ State Government. service	Name of the Post and Department against which such appointment was made	Date of advertisement / notification of the post for which such option was exercised.
1	Manish Kumar Sinha, AAO	03.01.2006 (F/N)	Goods Guard, Nanded Division South Central Railway	06.09.2003
2	Aftab Alam Khan, AAO (Adhoc)	31.10.2005 (F/N)	Trackman, Malda Division, Eastern Railway	13.06.2003

The above officers are required to subscribe to General Provident Fund (GPF) in terms of DoPPW O.M. No. 57/05/2021- P & PW (B) dated 03.03.2023.


// प्राधिकार: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) प.बं.
आदेश सं. Admn..III/5-9/NPS to OPS/Vol.1/20 दिनांक 01.12.2023//



वरि. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

प्रति प्रेषित:

1. वरि. उप- महालेखाकार (एएमजी-IV)
2. वरि. उप- महालेखाकार (एएमजी-I) एवं प्रशासन
3. उप-महालेखाकार (एएमजी-II)
4. उप-महालेखाकार (एएमजी-III)
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता-700001
6. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (समन्वय)
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा. I एवं ईडीपी-एससी
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-II को श्री मनीष कुमार सिन्हा, स.लेप.अ एवं श्री आफताब आलम खान, स.लेप.अ (तदर्थ के पक्ष में एनपीएस से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 (वर्तमान में 2021) के तहत पेंशन योजना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के अनुरोध सहित।
9. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/अभिलेख एवं हिंदी कक्ष
10. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
11. हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवाद हेतु
12. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा. I को ई-मेल के माध्यम से परिचालनार्थ
13. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ईडीपी-एससी, कार्यालयीन वेबसाइट पर संप्रेषण के लिए
14. संबंधित व्यक्ति
15. वैयक्तिक फाइल



वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा. I